न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
10/2019	111,128 LRA	30.04.2019	31.05.2019

1. रूपरामदास
2. मामराज
3. लिछमणदास

पुत्रगण स्व. किशनदास जाति स्वामी निवासी खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील वा जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
2. सोहनराम पुत्र पन्नदास
3. दुर्गादास पुत्र पन्नदास
4. रामेश्वरदास पुत्र चौथूदास
5. शंकरदास पुत्र भगवानदास
6. गीगराज पुत्र भगवानदास

जाति स्वामी निवासी खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील वा जिला चूरू

–अप्रार्थीगण–

7. हस्ती पत्नी मूलाराम
8. सीतादेवी पत्नी पतराम

जाति प्रजापत निवासी खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील वा जिला चूरू

–गौण अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री रामप्रसाद प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री ताहिर खान अप्रार्थी सं. 2 से 6

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 337/239 रकबा 13 बीघा 18 विश्वा (3.5157 हैक्टेयर) व सीतादेवी को विक्रय की गई कृषि भूमि ख.नं. 338/239 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल रकबा 3.7686 हैक्टेयर रोही मौजा खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील व जिला चूरू में अवस्थित है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 की कृषि भूमि प्रार्थीगण की भूमि से दक्षिण दिशा की तरफ व अप्रर्थी सं. 4 से 6 की कृषि भूमि उत्तर दिशा की तरफ होने से प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी सं. 7 व 8 की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के मध्य स्थित है। अप्रार्थीगण सं. 7 व 8 को प्रार्थी सं. 1 ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खातेदारी से उक्त खसरान से विक्रय की गई है जो गौण अप्रार्थीगण पक्षकार हैं। अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 की कृषि भूमियों के मध्य सींव पड़ी हुई थी। प्रार्थीगण के पिता हर वक्त अपनी कृषि भूमि की देखभाल नहीं कर पाता था जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत के बीच की सींव को नष्ट कर सीमा चिन्हों को खत्म कर दिये तथा हर वर्ष प्रार्थीगण की कृषि भूमि की ओर से अप्रार्थीगण खिसक कर प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। प्रार्थीगण बाहर मजदूरी के लिए जाने के कारण हर वक्त खेत में नहीं रह पाते परन्तु कृषि भूमि को काश्त करने के दौरान व लावणी आदि कृषि कार्य करने के वक्त ही जा पाते हैं जिसका नाजायज फायदा उठा कर अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6 ने सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये हैं। इसलिए प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने का व उसकी पत्थरगढी के लिए आवेदन पेश किया जा रहा है। पत्थरगढी का नियमानुसार आवश्यक खर्चा प्रार्थीगण वहन करने के लिए तैयार हैं।

यह कि अप्रार्थीगण हर काश्त के मौसम में प्रार्थीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करते हैं तथा जबरन सीमा से आगे बढते रहते हैं प्रार्थीगण इस विवाद का स्थायी निदान करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कभी कोई विवाद नहीं हो। सीमा विवाद के चलते प्रार्थीगण के साथ कभी कोई अप्रिय घटना हो सकती है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के खेत कृषि भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी किये जाने से ही प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सकेगा व सीमा विवाद समाप्त हो सकेगा। यह कि प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि की सीमा ज्ञान करवाने बाबत तहसीलदार महोदय, चूरू को दिनांक 02.04.2019 को आवेदन किया था जिस आवेदन पर अप्रार्थी सं. 1 ने आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई इस कारण श्रीमान् जी के समक्ष चाराजोई के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। यह कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि का रकबा पूरा करवा कर पैमाईश करवा कर अपने हिस्से की व पूर्व विक्रय की गई भूमि सहित पूरा करवाने का विधिक अधिकारी है जो प्रार्थीगण का उक्त खसरान का रकबा पूरा किया जाना न्यायोचित है। यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 02.04.2019 को सहमति से सीमांकन व पत्थरगढी करवाने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 02.04.19 को प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र का आधार प्रार्थी का रकबा कम होने से है। यह कि विवादित कृषि भूमि ग्राम रोही खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसका सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है तथा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर श्रीमान् जी के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 337/239 रकबा 3.5157 हैक्टेयर व ख.नं. 338/239 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल तादादी 3.7686 हैक्टेयर रोही खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील चूरू की उत्तर व दक्षिण सीमा प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 के खेतों के मध्य का सीमा ज्ञान करवाया जाकर दोनों ओर खेतों के मध्य प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमांकन पत्थरगढी करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 स्वयं उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सं. 2 से 6 की ओर से श्री ताहिर खान एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबाल जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। गौण अप्रार्थी सं. 7 व 8 के विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 7 व 8 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं. 2 से 6 की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 कृषि भूमि के खसरा व रकबा की स्थिति है जो स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में इन्साफ प्राप्ति हेतु लिखी हुई होने से स्वीकार है। चूंकि प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से दोनों पक्षकारान को इन्साफ ही मिलेगा। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में मौजूदा हालात व तथ्य सही होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 विधिक अधिकार नपती व सीमांकन बाबत लिखे होने से स्वीकार किये जाते हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में लिखे गये तथ्य कानूनी हैं जो स्वीकार किये जाते हैं।

अतः इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मांगी गई अनुतोष के मुताबिक प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी सं. 2 ता 6 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, उज्र व एतराज नहीं है, बल्कि दोनों पक्षकारान को इन्साफ ही प्राप्त होगा। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के मुख्य अप्रार्थीगण की ओर से इकबाल जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण ने बहस का निवेदन किया जिस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि 3.5157 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है व पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 7 व 8 को 0.2529 हैक्टेयर भूमि विक्रय की गई है जो मौके पर कम है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य स्थित सींव को लेकर दोनों पक्षों में काश्त के समय विवाद बना रहता है जो कभी भी लड़ाई झगड़े का रूप लेकर विवाद बढ सकता है। इसलिए प्रार्थीगण ने विवाद को शान्तिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रकरण के मुख्य अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब पेश कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई उजर, आपत्ति या एतराज नहीं होने का कथन किया है। दोनों पक्षों की सहमति है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 रोही ग्राम खण्डवा पट्टा पीथीसर के ख.नं. 337/239 तादादी 3.5157 हैक्टेयर में वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 7 खातेदार अंकित हैं। ख.नं. 338/239 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही रोही ग्राम खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील चूरू में वर्तमान में अप्रार्थी सं. 8 खातेदार अंकित हैं। उपरोक्त जमाबन्दियों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 7 व 8 की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थीगण को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 7 व 8 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। उपस्थित अप्रार्थी सं. 2 से 6 ने इकबाल जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से दोनों पक्षकारान को इन्साफ ही प्राप्त होगा। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 ने अपने जवाब में ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। दोनों पक्ष प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में सहमत हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 337/239 रकबा 3.5157 हैक्टेयर व खसरा नं. 338/239 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल तादादी 3.7686 हैक्टेयर रोही खण्डवा पट्टा पीथीसर के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 के खेतों के मध्य स्थित उत्तर व दक्षिण सीमा के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में प्रार्थीगण की कृषि भूमि की विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू